न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/46

1. कैलाश बाई बेवा दुर्गाशंकर जाति बलाई निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. बृजमोहन
3. कमल
4. विष्णु पिसरान स्वर्गीय श्री दुर्गा शंकर जाति बलाई निवासीगण नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. रेखारानी पुत्री स्वर्गीय श्री दुर्गाशंकर जी जाति बलाई निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नैनवा जिला बून्दी ।
3. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.01.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नैनवा में दिनाक 23.11.1975 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थीगण क्रम 1 से 4 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 05 कैलाश बाई के पति दुर्गाशंकर के पक्ष में खसरा नम्बर 5426 की 08 बीघा भूमि आवंटित हुई थी । उक्त भूमि पर नियमानुसार आवंटी दुर्गाशंकर को

कब्जा दिया गया था । कब्जा देने के दिनांक से दुर्गाशंकर जी का उनके जीवनकाल में उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा था । दुर्गाशंकर जी की सन् 2000 में मृत्यु हो जाने के बाद प्रार्थीगण का आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । आवंटन के दिनांक से ही प्रार्थीगण के पिता दुर्गाशंकर जी आराजी के खातेदार कृषक हो चुके थे । प्रार्थीगण के पिता दुर्गाशंकर ने 25 वर्ष तक निरन्तर व निर्बाध रूप से आराजी में खेती काश्त की व आवंटन शर्तो की पालना की । पटवारी हल्का द्वारा आवंटी दुर्गाशंकर को आराजी की पास बुक भी जारी की गई थी । अप्रार्थीगण जबरन 3–4 दिन से प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करने व जेसीबी मशीन से भूमि पर नीवें खोदने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें, आराजी में नीवें नहीं खोदे न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.12.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट क्रम 01 के पति एवं अपीलान्ट क्रम 2 से 5 के पिता श्री दुर्गाशंकर जी को नियमानुसार आवंटित की गई थी तथा नियमानुसार दखल दिया गया था । श्री दुर्गाशंकर जी उक्त भूमि पर अपने जीवनकाल तक निरन्तर काबिज रहे तथा उनके स्वर्गवास के उपरान्त अपीलान्टगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है । रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अपीलान्ट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2015 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट क्रम 01 के पति एवं अपीलान्ट क्रम 2 लगायत 5 के पिता श्री दुर्गाशंकर जी को ग्राम नैनवा की खसरा नम्बर 5426 की 08 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटित की गई थी तथा नियमानुसार दखल दिया गया था । श्री दुर्गाशंकर जी इस आराजी पर अपने जीवनकाल में निरन्तर काबिज रहे उनके स्वर्गवास के पश्चात् अपीलान्टगण इस आराजी पर

काब्जि काश्त हैं । आवंटन शर्तो की पालना की गई है । रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है उन्हें वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया है । अपीलान्टगण के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के बाबत् पासबुक भी जारी की गई है । आवंटन आदेश की प्रति भी पेश की गई है । आवंटी को दखल भी दिया गया था । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु अपीलान्टगण के पक्ष में पाये गये हैं फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2015 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी गै0मु0 बर्डा है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता । आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी सिवायचक है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं पाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कर एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है । प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1975 की फोटो प्रति संलग्न की गई है जिसके अनुसार दुर्गाशंकर को ग्राम नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 5426 की 08 बीघा भूमि आवंटित की गई थी ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 के अनुसार खसरा नम्बर 5426 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा गै0मु0 बर्डा के रूप में सरकारी सिवायचक दर्ज है । पत्रावली पर कब्जा देने की रिपोर्ट की फोटो प्रति एवं पास बुक की फोटो प्रति पेश की गई है । इसके अलावा कुछ रसीदों की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं ।

11. वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 बर्डा के रूप में सिवायचक दर्ज है । अपीलान्ट इस आराजी पर स्वयं के पक्ष में आवंटन होना बताते हैं परन्तु आवंटन के उपरान्त उन्हें इस आराजी पर गैर खातेदारी एवं खातेदारी मिली हो ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट ने पेश नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी सिवायचक गै0मु0 बर्डा के रूप में दर्ज है । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया गया है न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में है और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार वादग्रस्त आराजी खेल स्टेडियम के लिए आरक्षित है जिस पर जनहित में खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जा रहा है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलान्ट खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.1.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा